प्रेस नोट

थाना-टहरौली, जनपद-झाँसी

दिनाँकः 18.08.2026

- **थाना टहरौली पुलिस द्वारा गुमशुदा/अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 18.08.2026 को थाना टहरौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 160/2026 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित गुमशुदा/अपहृत बालक दीपेन्द्र पुत्र मानवेन्द्र अहिरवार, उम्र करीब 14 वर्ष, निवासी ग्राम सिद्धपुरा, थाना टहरौली, जनपद झाँसी को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 17.08.2026 को थाना टहरौली पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त थाना टहरौली पुलिस द्वारा बालक की सकुशल बरामदगी हेतु तत्काल प्रयास प्रारम्भ किये गये। पुलिस टीम द्वारा ग्राम पिपरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय इण्टर कॉलेज पिपरा में जानकारी करने के साथ-साथ ग्राम पिपरा एवं ग्राम बघैरा में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गयी तथा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एवं मोबाइल लोकेशन के माध्यम से बालक की तलाश की गयी।

पुलिस टीम को प्राप्त जानकारी के आधार पर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन झाँसी पर तलाश की गयी। इस दौरान प्लेटफार्म नं0 04 पर गुमशुदा/अपहृत बालक दीपेन्द्र उपरोक्त दिल्ली जाने वाली ट्रेन के इंतजार में बैठा हुआ मिला। पुलिस टीम द्वारा बालक को उसके पिता मानवेन्द्र के समक्ष सकुशल बरामद कर थाना टहरौली लाया गया।

उक्त गुमशुदा/अपहृत बालक के मा0 न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान दर्ज कराये गये। बयान के उपरान्त मा0 न्यायालय के आदेशानुसार बालक दीपेन्द्र को उसके पिता मानवेन्द्र अहिरवार के सुपुर्द किया गया।

बरामद बालक का विवरणः- दीपेन्द्र पुत्र मानवेन्द्र अहिरवार, उम्र करीब 14 वर्ष, निवासी ग्राम सिद्धपुरा, थाना टहरौली, जनपद झाँसी।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्र0नि0 सरिता मिश्रा, थाना टहरौली, जनपद झाँसी।
2. व0उ0नि0 प्रभाकान्त साहू, थाना टहरौली, जनपद झाँसी।
3. उ0नि0 गिरजेश कुमार, थाना टहरौली, जनपद झाँसी।